वेतन व भत्तों पर आयकर की गणना व छूट वित्तीय वर्ष 2025-26 कर निर्धारण वर्ष 2026-27

केन्द्रीय बजट 2025 के अनुसारआयकर व्यवस्था में कुछ **प्रमुख अपडेट इस प्रकार हैं-**

- आयकर स्लेब को छह से घटाकर पांच कर दिया गया है।
- मूल छूट सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 4 लाख रुपये कर दी गई है।
- नई कर व्यवस्था के तहत, उच्चतम अधिभार दर 37% से घटाकर 25% कर दी गई है।
- धारा 111ए (शेयरों पर अल्पकालिक पूंजीगत लाभ), धारा 112ए (शेयरों पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ और धारा 115 एडी (विदेशी संस्थागत निवेशकों की आय पर कर) के तहत कर योग्य आय पर अधिभार दरें लागू नहीं होती हैं। इन आय के लिए देय कर हेतु अधिभार की उब्बतम दर 15% होगी।
- ध्यान दें कि धारा 112 में उल्लिखित पूंजीगत लाभ या लाभांश आय के लिए देय करों पर अधिकतम अधिभार दर 15% है। 15% विभिन्न कंपनियों से मिलकर बने व्यक्तियों के संघ (एओपी) पर लागू अधिकतम अधिभार दर भी है।
- ध्यान दें कि 4% की दर से स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर प्रत्येक मामले में अधिभार के साथ आयकर देयता में जोड़ा जाएगा। नई कर व्यवस्था के अंतर्गत वेतनभोगी व्यक्तियों और पेंशनभोगियों के लिए 75,000 रुपये की मानक कटौती लागू है।
- धारा 87ए के तहत कर छूट बढ़ा दी गई है, जिससे 12 लाख रुपये तक की कर योग्य आय वाले व्यक्तियों को 60,000 रुपये की छूट मिल सकेगी।

नई कर व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं

नई कर व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधान विशेष रूप से लागू होंगे:

- एकसमान कर दरें वरिष्ठ और अति वरिष्ठ नागरिकों सहित सभी व्यक्तिगत करदाताओं पर समान स्लैब दरों पर कर लगाया जाता है।
- छूट की पात्रता - यदि आपकी कुल आय 7 लाख रुपये से अधिक नहीं है, तो 25,000 रुपये तक की कर छूट उपलब्ध है। (ध्यान दें कि यह अनिवासी भारतीयों पर लागू नहीं है।
- मानक कटौती- वेतनभोगी व्यक्ति 75,000 रुपये की मानक कटौती का दावा कर सकते हैं।
- पारिवारिक पेंशन कटौती- पारिवारिक पेंशन आय के लिए कटौती सीमा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी गई है।
- एनपीएस नियोक्ता अंशदान राष्टीय पेंशन प्रणाली में नियोक्ता अंशदान 14% तक कटौती योग्य है।
- अधिभार सीमा - लागू अधिकतम अधिभार 25% है, जबकि पुरानी व्यवस्था में यह 37% था।
- डिफॉल्ट व्यवस्था - नई कर व्यवस्था अब करदाताओं के लिए डिफ़ॉल्ट विकल्प है, जब तक कि पुरानी व्यवस्था को विशेष रूप से नहीं चुना जाता।

(I) नई कर व्यवस्था में अनुज्ञेय कटौतियां (New Regime)

Section	Deductions allowed under the default tax regime (Section 115-BAC)	Maximum limit
16 (ia) 80-CCD (2)	Standard Deduction Deduction in respect of contribution to pension scheme of the Central Government	₹75,000
87-A	Rebate- Where taxable income is less than 12 lakhs	₹60.000 or tax, whichever is less
	Where taxable income is more than 12 lakhs	Amount of tax in excess of difference between taxable income and 12 lakhs

(II) पुरानी कर व्यवस्था में अनुज्ञेय कटौतियां (Old Regime)

Section	Deductions allowed under old regime	Maximum limit
16 (ia)	Standard Deduction	₹50,000
16 (ii)	Entertainment allowance	₹5,000
16 (iii)	Professional tax paid	₹2,500

80-C	Deduction in respect of life insurance premia, deferred annuity, contributions to provident fund, subscription to certain equity shares or debentures, etc.	₹1,50,000	
80-CCD	(1) Deduction in respect of contribution to pension scheme of Central Government. (2) Deduction made by Government	10% of salary 14% of Salary	
80-D	Deduction in respect of health insurance premia. (a) the amount paid to keep in force an insurance on the health of the assessee or his family or any contribution made to the CGHS or any payment made on account of preventive health check-up	₹25,000	Maximun limit of ₹50,000 in respect of aggre gate of (a) a (a) and (c) or (b) and (d)
	(b) the amount paid to keep in force an insurance on the health of the parent or parents of the assessee or any payment made on account of preventive health check-up	₹25,000	
	(c) the amount paid for medical expen-diture on the health of the assessee or any member of his family	₹50,000	
	(d) the whole of the amount paid on account of medical expenditure incurred on the health of any parent of the assessee	₹50,000	
80DD	Deduction in respect of maintenance including medical treatment of a dependant who is a person with disability.	₹75,000 for disability ₹1,25,000 for severe disability	
80-DDB	Deduction in respect of medical treatment, etc.	₹40,000 ₹ 1,00,000 for senior citizens	
80-E	Deduction in respect of interest on loan taken for higher education.		
80-EE	Deduction in respect of interest on loan taken for residential house property	₹50,000	
80-EEA	-Do	₹1,50,000	
80-EEB	Deduction in respect of purchase of electric vehicle.	₹1,50,000	
80-G	Deduction in respect of donations to certain funds, charitable institutions, etc.		
80-TTA	Deduction in respect of interest on deposits in savings account.	₹10,000	
80-TTB	Deduction in respect of interest on deposits in case of senior citizens.	₹1,00,000	
80-U	Deduction in case of a person with disability.	₹75,000 for disability 1,25,000 for severe disability	

(e) Interest income on contribution to PF by employee in excess of ₹5,00,000 where there is no contribution by employer, will be taxable.

(f) Calculate Income Tax on taxable income.

(g) Calculate Health and Education Cess of 4% on Income Tax.

These points are to be kept in mind while calculating the income tax for the salaried persons.

TABLE INDICATING INCOME SLABS AND TAX RATES

Old Tax Regime				New tax Regime u/s 115-BAC	
Income Tax slab	Income Tax Rate for individuals 60 years	Income TaxRate for individuals 60 years or more bet less than 80 years of age any time during the previous year	Income Tax Rate for individuals 80 years of age or more any time durin uring the previous year	Income Tax Slab	Income Tax Rate
Up to 2,50,000	Nil	Nil	Nil	Up to ₹4,00,000	Nil
₹2,50,010-₹3,00,000	5% above ₹2,50,000*	Nil	Nil	₹4,00,000-₹8,00,000**	5% above ₹4,00,000**
₹3,00,010-₹5,00,000	5% above ₹2,50,000*	5% above ₹3,00,000*	Nil	₹8,00,000-12,00,000**	₹20,000+10% above ₹8,00,000**
₹5,00,010-₹10,00,000	₹12,500+20% above ₹5,00,000	₹10,000+20% above ₹5,00,000	20% above ₹5,00,000	₹12,00,000-₹16,00,000	₹60,000+15% above ₹12,00,000
₹10,00,010-₹50,00,000	₹1,12,500+30% above ₹10,00,000	₹1,12,500+30% above ₹10,00,000	₹1,00,000+30% above ₹10,00,000	₹16,00,000-₹20,00,000	₹1,20,000+20% above ₹16,00,000
₹50,00,010-₹1,00,00,000	₹1,12,500+30% above ₹10,00,000	₹1,12,500+30% above ₹10,00,000		₹20,00,000-₹24,00,000	₹2,00,000+25% above ₹20,00,000
				Above 24,00,000	₹3,00,000+30% above ₹24,00,000

*Rebate of up to 12,500 or tax, whichever is less. **Rebate of up to 60,000 or tax, whichever is less.

Surcharge.--

Total Income (excluding income by way of dividend or income under the provisions of Sections 111-A, 112 and 112-A)	Surcharge on tax
> * 50 lakhs and < 1 crore	10%
> *1 crore and <2 crores	15%
> * 2 crores and < 5 crores	25%
> ** 5 crores	37%

* Provided that the total amount payable as IT and surcharge shall not exceed the amount of IT on the minimum of the slab plus the difference between their income and the minimum of the slab.

For eg. If the total income of a person is 51 lakhs, the IT plus surcharge shall not exceed the total IT payable on 50 lakhs plus 1 lakh. The difference will be allowed as marginal relief.

** Where the income of a person is chargeable to tax under sub-section (1-A) of Section 115-BAC, the rate of surcharge shall not exceed twenty-five per cent.

विद्यमान दरों एवं नवीन वैकल्पिक दरों पर आयकर की कटौती का तुलनातमक विवरण

विद्यमान दरों पर आयकर की गणना			नवीन दरों पर आयकर की गणना		
वार्षिक आय		15,50,000	वार्षिक आय		15,50,000
अनुज्ञेय कटौती					
(1)मानक कटौती		(–) 50,000	मानक कटौती		75,000
मकान ऋण पर ब्याज		(–) 50,000			
शेष		14,50,000			
(2) 80 (C) के अन्तर्गत अनुज्ञेय कटौती		(–) 1,50,000			
शेष		13,00,000			
(3) अन्य कटौतियां					
मेडीक्लेम	(–) 50,000				
दान	(–) 10,000	60,000			
कर योग्य आय		12,40,000	वार्षिक कर योग्य आय		14,75,000
आयकर की गणना			**आयकर की गणना**		
कर योग्य आय		12,40,000	कर योग्य आय		14,75,000
आय 2.50 तक	दर	आयकर	आय	दर	आयकर
2.50 लाख से 5 लाख तक	5%	12500	4.00 लाख तक	शून्य	–
5 लाख से 10 लाख तक	20%	1,00,000	4.00 से 8.00 लाख तक	5%	20,000
10 लाख से अधिक (2.40 लाख पर)	30%	72,000	8 लाख से 12.00 लाख तक	10%	40,000
			शेष 2.75	15%	41,250
कुल आयकर		1,84,500			1,01,250
शिक्षा उपकर 4%		7380			4050
कुल आयकर		1,91,888			1,05,300

1. मकान किराया भत्ता— कर्मचारी द्वारा उसके आवास के संबंध में प्राप्त मकान किराया भत्ता निम्न में से सबसे कम राशि तक करमुक्त होगा:

(a) वास्तव में प्राप्त किया गया मकान किराया भत्ता, या

(b) वेतन के 1/10 भाग से अधिक किराये का भुगतान, या

(c) निम्न के बराबर राशि–

(i) जब आवास मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली या मद्रास में हो तो संबंधित अवधि के लिए करदाताको देय वेतन का आधा भाग, और

(ii) जब आवास किसी अन्य स्थान पर स्थित हो तो संबंधित अवधि के लिए करदाता को देय वेतन का 2/5 भाग [नियम 2A]

इस उद्देश्य के लिये, वेतन में महंगाई भत्ता भी शामिल होगा। यदि नौकरी की शर्तों में ऐसा प्रावधान हो (जैसे प्रोविडेंट फण्ड और भत्तों आदि की गणना करते समय इसे शामिल करना) परन्तु अन्य सभी भत्ते और अनुलाभ (perquisites) शामिल नहीं होंगे।

करदाता द्वारा प्राप्त किया गया मकान किराया भत्ता कर से मुक्त नहीं होगा, अगर (a) करदाता आवासीय मकान का स्वामी हो, या (b) करदाता जिस मकान में रह रहा है, उसके लिए किराये (या चाहे जिस नाम से जाना जाए) के भुगतान पर वास्तव में कुछ खर्च न किया हो।

करमुक्त HRA की राशि कर्मचारी के वेतन, HRA की राशि, भुगतान किया गया किराया और वह स्थान जहां आवास किराये पर लिया गया हे, पर निर्भर करती है। यदि सभी घटक पूरे वर्ष एक समान हों तो करमुक्त राशि वार्षिक आधार पर गणित की जा सकती है। अन्यथा, यदि किसी घटक में कोई बदलाव हो, तो करमुक्त राशि को मासिक आधार पर गणित किया जाना

चाहिये।

उदाहरण : जयपुर में रह रहे Mr. X द्वारा दिये गये निम्न वितरण से, करयोग्य HRA की राशि निर्धारित करें।

(a) मूल वेतन (प्रति वर्ष) 3,00,000 रुपए

(b) मकान किराया भत्ता (प्रति वर्ष) 54,000 रुपए

(c) जयपुर में मकान के लिए किराये का भुगतान 75,000 रुपए

निम्न में से न्यूनतम कर मुक्त HRA की राशि होगी:

(i) वास्तविक HRA 54,000 रुपए

(ii) किराये का भुगतान-वेतन का 10% [अर्थात 75,000 रुपए-30,000 रुपए] 45000 रुपए

(iii) वेतन का 40 प्रतिशत (चूंकि मकान जयपुर में है) 1,20,000 रुपए

अत: कर मुक्त HRA 45,000 रुपए होगा तथा HRA की कर योग्य राशि [54,000 रुपए-45000 रुपए =] 9000/- रुपए होगी। **90A**

नोट : 3000 रुपए तक मकान किराया भत्ता प्राप्त करने वाले कर्मचारी मकान किराया भुगतान रसीद प्रस्तुत करने से मुक्त रहेंगे।

स्त्रोत पर आयकर की कटौती की दरें

फार्म का विवरण	कटौती की धारा	कटौती की दर	उपकर	विशेष विवरण एक समय में
(1) (i)ठेकेदारों को भुगतान एक व्यक्ति करदाता, HUF	194(C)	1 %	-	एक समय में 30,000 तथा वार्षिक-1.00 लाख रु. तक की संविदा के प्रतिफल पर टीडीएस की कटौती नहीं होगी
(ii) पार्टनरशिप फर्म		2%		
(2) ब्याज (प्रतिभूतियों पर ब्याज को छोड़कर)	194 (ए)	10 %	-	ब्याज की राशि 10000 से अधिक होने पर ही कटौती होगी।
वरिष्ठ नागरिकों हेतु		10 %	-	ब्याज की राशि 50000 से अधिक होने पर ही कटौती होगी।
(3) किराये के भुगतान से	194 (i)			
एक व्यक्ति करदाता		10 %	-	6.00 लाख वार्षिक किराये से अधिक होने पर
प्लांट एवं मशीनरी के किराये पर		2%		
(4) पेशा सम्बन्धी तकनीकी सेवा	194 (j)	10 %	-	30,000 के ऊपर की राशि पर
(5) कॉल सेन्टर चलाने के व्यापार पर	194 (B)	20 %	-	-
(6) लॉटरी इत्यादि की आय पर	194 (B)	30 %	-	10000 से अधिक की आय पर
(7) दलाली एवं कमीशन	194 (H)	2 %	-	15000 से अधिक राशि होने पर (1.6.16 से)

स्त्रोत पर कर की कटौती नहीं करने के परिणाम : यदि कोई व्यक्ति स्त्रोत पर कर की कटौती करने के लिए जिम्मेदार है तथा कर की कटौती नहीं करता है अथवा कटौती करने के पश्चात कर भुगतान करने में असफल रहता है तो जिस तारीख से कर की कटौती की जानी थी उस तारीख तक जिस दिन वास्तव में भुगतान किया गया है कर की राशि पर प्रति वर्ष 12 प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज देना होगा। जुर्माना भी वसूल किया जा सकेगा। धारा 201 (1A)

कर का अग्रिम भुगतान – प्रत्येक व्यक्ति को अग्रिम कर का भुगतान करना उस स्थिति में अनिवार्य है, यदि देय अग्रिम कर की राशि 5000 रुपए अथवा इससे अधिक हो। आय की सभी मदों में अग्रिम कर का भुगतान अनिवार्य है।

अग्रिम कर की गणना

किश्त की देय तिथि	देय अग्रिम कर
गत वर्ष की 15 जून तक	15 प्रतिशत
गत वर्ष की 15 सितम्बर तक	45 प्रतिशत
गत वर्ष की 15 दिसम्बर तक	75 प्रतिशत
चालू वर्ष की 15 मार्च तक	100 प्रतिशत

अग्रिम कर का भुगतान नहीं करने के परिणामस्वरूप प्रतिमाह 1 प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज लिया जाएगा।

स्त्रोत पर आयकर कटौती की विवरणी इलेक्ट्रोनिक माध्यम से त्रैमासिक भेजी जावेगी- स्त्रोत पर आयकर कटौती (TDS Returns) की त्रैमासिक विविरणी (Quarterly Returns) इलेक्ट्रोनिक माध्यम से निम्नांकित तिथियों को प्रेषित की जायेगी।

फार्म सं. विवरणी	दिनांक
27(A)	24Q, 26Q

24Q संवेतन शीर्षक से 24 Q व 26 Q अन्य स्त्रोत पर

आयकर कटौती की त्रैमासिक विवरणी	अंतिम तिथि
अप्रेल 2025 से जून 25 तक	31 जुलाई 2025
जुलाई 2025 से सितम्बर 25 तक	31 अक्टू. 2025
अक्टू. 2025 से दिसम्बर 25 तक	31 जनवरी 2026
जनवरी 2026 से मार्च 26 तक	31 मई 2026

फार्म सं. 24 Q एवं 26 Q के समर्थन के लिए फार्म सं. 27 A (Physical Control Chart) निर्धारित प्रपत्र में उपरोक्त वर्णित तिथि तक इलेक्ट्रोनिक आयकर विवरणीके साथ संलग्न कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

e-TDS की त्रैमासिक विवरणी निर्धारित प्रपत्र (Prescribed Data Structure) में तैयार कर सीडी रोम में स्टोर कर नेशनल सिक्यूरीटिज डिपॉजिटरी लि. (NSDL) द्वारा निर्धारित केन्द्र पर जमा की जावेगी।

1 अप्रैल 2025 से प्रभावी आयकर परिवर्तन

केंद्रीय बजट 2025 ने भारत के आयकर ढांचे में कई महत्वपूर्ण बदलाव पेश किए हैं। ये बदलाव। अप्रैल 2025 से प्रभावी होंगे और आकलन वर्ष 2026-27 तक लागू होंगे।

1. धारा 87ए के तहत बढ़ी हुई छूट

नई कर व्यवस्था के तहत धारा 87 के तहत छूट 25,000 रुपये से बढ़ाकर 60,000 रुपये कर दी गई है। इस वृद्धि का अर्थ है कि 12 लाख रुपये तक की कर योग्य आय वाले व्यक्तियों पर नई व्यवस्था के तहत कोई कर देयता नहीं होगी। पुरानी कर व्यवस्था के तहत छूट 12.500 रुपये पर अपरिवर्तित रहेगी।

2. ब्याज और किराए के लिए उच्च टीडीएस सीमा

कर अनुपालन को सरल बनाने के लिए, स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) की सीमा को संशोधित किया गया है:

भुगतान की प्रकृति	पिछती सीमा	नई सीमा
वरिष्ठ नागरिकों के लिए जमा पर ब्याज	50.000	1 लास रुपये
किराया भुगतान	2.4 लाख रुपये प्रति वर्ष	50,000 रुपये प्रति माह

इससे स्रोत पर कम कटौती हो सकेगी और करदाताओं, विशेपकर पेंशनभोगियों और किरायेदारों के लिए कागजी कार्यवाई कम हो जाएगी

नया टैक्स स्लैब चुनने से पहले ध्यान रखने योग्य बातें

नए कर स्लैब 2025-26 के तहत आयकर का भुगतान करने का विकल्प चुनने से पहले आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए

- नई कर व्यवस्था आपके द्वारा प्राप्त छूटों और कटौतियों को प्रभावित कर सकती है। सुनिश्चित करें कि आप समझते हैं कि नई व्यवस्था आपकी छूटों और कटौतियों को कैसे प्रभावित करेगी।
- यदि आप एक व्यक्ति हैं या हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) के सदस्य हैं और आपकी कोई व्यावसायिक आप नहीं है. वो आप प्रत्येक पिछले वर्ष के लिए या उससे पहले विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं।
- एक करदाता के रूप में, एक बार जब आप अगली कर व्यवस्था चुन लेते हैं, तो आप वर्ष के दौरान किसी अन्य विकल्प पर स्विच नहीं कर सकते।
- नई कर व्यवस्था आपके द्वारा प्राप्त छूटों और कटौतियों को प्रभावित कर सकती है। सुनिश्चित करें कि आप समझते हैं कि नई व्यवस्था आपकी छूटों और कटौतियों को कैसे प्रभावित करेगी।
- पुरानी और नई दोनों कर व्यवस्थाओं के तहत अपनी कर देयता की गणना करना महत्वपूर्ण है. ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि आपके लिए कौन सी अधिक लाभदायक है, क्योंकि नई कर स्लैब के कारण आपकी कर देयता में कमी या वृद्धि हो सकती है।

294 में सहायक लेखाधिकारी ... शेष पृष्ठ 31 से

18. प्रमोद शर्मा, 19. संदीप भारद्वाज, 20. भानू प्रकाश गौतम, 21. कमल भारद्वाज, 22. लक्ष्मण सिंह, 23. आलोक कौशिक, 24. विनोद कुमार गर्ग, 25. डॉ. जयदेव शर्मा, 26. बलवीर सिंह डुकिया, 27. विजय कुमार थावानी, 28. सुनील कुमार, 29. सुरेश कुमार, 30. शम्भू दयाल गुप्ता, 31. सुनील कुमार वाजपेयी, 32. उम्मेद सिंह, 33. विवेक आचार्य, 34. मनीष खण्डेलवाल, 35. गोपाल तेली, 36. मुरारी लाल वर्मा, 37. संजीव यादव, 38. गिरधारी लाल, 39. मांगी लाल शर्मा, 40. अवनीश झाझडिया, 41. जयप्रकाश व्यास, 42. रौपिल जैन, 43. सुमित कुमार, 44. श्याम कुमार टेलर, 45. मानसिंह, 46. आशीष गौतम, 47. हेमाराम, 48. नरेश देवपुरा, 49. गुगनराम तेतरवाल, 50. राजदीप कुमावत, 51. महेन्द्र कुमार दिखनी, 52. कमल किशोर टाक, 53. विनोद कुमार बडेतिया, 54. उभय कुमार, 55. भुवनेश्वर राज मेहता, 56.नाथू लाल माली, 57. हीरा सिंह, 58. अंकुर गर्ग, 59. नवीन कुमार शर्मा, 60. अंकुर कुमार जैन, 61. दीपक कुमार गुप्ता, 62. निर्मल कुमार जैन, 63. मनोहर लाल टेलर, 64. दीपचन्द सैनी, 65. तारा चन्द सैनी, 66. दीप सिंह, 67. अशोक कुमार, 68. अनिल कुमार जैन, 69 किशन कुमार व्यास, 70. नवनीत रांकावत, 71 जितेन्द्र कुमार शर्मा, 72. संदीप प्रकाश, 73. तेजराम, 74. इतिका हारीत, 75. मुकेश कुमार कुमावत, 76. ओमप्रकाश, 77. दिनेश कुमार शर्मा, 78. मनोज कुमार जैन, 79. सुरेश कुमार, 80. धर्मपाल सिंह, 81. कालूदास, 82. सचिन शर्मा, 83. मधुसूदन शर्मा, 84. सत्यपाल सिंह शेखावत, 85. रामकिशोर, 86. योगेश कुमार वैष्णव, 87. सीता राम, 88. राकेश कुमार शर्मा, 89. भूपेन्द्र सिंह, 90. हरीश कुमार फागना, 91. ओमप्रकाश बैरवा, 92. राजीव बंसल, 93. दीपक कुमार गोयल, 94. अशोक कुमार माली, 95. आकाश गांधी, 96. लोकेन्द्र सिंह, 97. राजकपूर सोनी, 98. बंकट लाल रिणवा, 99. नीतिन शर्मा, 100. योगेश कुमार शर्मा, 101. योगेश कुमार, 102. सचिन कुमार गुप्ता, 103. सुरेन्द्र कुमार जैन, 104. मानसिंह राणावत, 105. सन्तोष कुमार गुप्ता, 106. सुशील कुमार, 107. संजय शर्मा, 108. सुशील चौमाल, 109. हिमांश, 110. सन्दीप कुमार तिवाडी, 111. रवि कुमार व्यास, 112. मोहिन्द्र पंजाबी, 113. निर्मल कुमार, 114. मोहम्मद अजीज भाटी, 115. लोकेश माथुर, 116. जितेन्द्र कुमार मावर

आयकर गणना प्रपत्र वित्तीय वर्ष 2025-2026 (कर निर्धारण वर्ष 2026-2027)

1. नाम कर्मचारी.. पद..
2. आय : वर्ष- 2025-2026 में प्राप्त कुल वेतन रु. ....
3. गृह किराया, धारा 10(13-(A))के अन्तर्गत एवं धारा 10 (14) के अन्तर्गत अन्य भत्ते जो कर मुक्त है। रु. ....
4. .... शेष (2-3) रु. ....
5. (i) मनोरंजन भत्ता धारा 16 (ii) के अन्तर्गत रु......................
   (ii) व्यवसाय कर धारा 16 (iii) के अन्तर्गत रु. .... योग 5 (i + ii(iii)) रु......................
   (iii) स्टेण्डर्ड डिडेक्शन (standard dedection) 75,000 (अधिकतम) (पुरानी में 50,000)
6. .... शेष (4-5)
7. **(अ) गृह सम्पत्ति से आय : (i) स्वयं के उपयोग में-शून्य** (ii) प्राप्त किराया..........................
   (ब) घटायें : किराये का 30% रु...................... गृह ऋण पर ब्याज रु...................... गृहकर रु...................... योग रु......................
   शेष-/ + (7 (अ) एवं योग 7 (ब) का) रु..................
   कुल शेष-/ + (6 एवं 7) रु..............................
8. बचत खाते पर ब्याज .... रु..............................
9. अन्य आय ....
10. सकल आय .... शेष (8+9) रु..............................
11. **घटाइये कटौतियाँ :-** (US 80C, 80CCC,80CCD)
   (1) पेंशन प्लान हेतु अंशदान (धारा 80 CCC) .... (2) पेंशन योजना में अंशदान (धारा 80 CCD(1)) 10% (वेतन + GP + DA......................)
   (3) राज्य बीमा .... (4) जोवन बीमा प्रीमियम ....
   (5) राष्ट्रीय वचत पत्र .... (6) लोक भविष्य निधि ....
   (7) सामान्य प्रावधायी निधि .... (8) यू.एल. आई.पी./वार्षिकी प्लान ....
   (9) पी.एल.आई. .... (10) गृह ऋण किस्त ....
   (11) टयूशन फीस .... (12) स्थगित वार्षिकी (Defferred Annuty......................)
   (13) इक्विटी लिंक सेंविग स्कीम .... (14) राष्ट्रीय वचत पत्र पर अदत्त ब्याज ....
   (15) अन्य ....
   योग.... (11) (1 से 15 तक)अधिकतम कटौती की राशि 1.50 लाख रुपए तक होगी..............................
   धारा 80CCE/80CCCD - नियोक्ता द्वारा पेंशन अंशदान की राशि (अधिकतम वेतन का 10%) या 14% पृथक से छूट
   धारा 80CCD (IB) - नई पेंशन स्कीम में अंशदान 50,000/- की छूट

अन्य कटौतियां

12. चिकित्सा बीमा प्रीमियम 80 (D) (के अनुसार 25000) वरिष्ठ नागरिकों को 50,000 ....
13. आश्रित विकलांग के अनुरक्षण/चिकित्सा उपचार 80 DD (अधिकतम 75,000 तथा 80% विकलांगता पर 1,25,000/-) ....
14. विशिष्ट रोगों के उपचार हेतु कटौती (80DDB) (अधिकतम 40,000 सीनियर सिटीजन हेतु 1,00,000) ....
15. उच्च शिक्षा हेतु लिए ऋण पर ब्याज की राशि (80 E..................................)
16. दान (80 G) (धारा 80 G में 'क' श्रेणी में 100 प्रतिशत एवं 'ख' श्रेणी में 50 प्रतिशत) ....
17. अनुमोदित वैज्ञानिक, सामाजिक, ग्रामीण विकास आदि हेतु दिय गया दान (80 GGA..................................)
18. शारीरिक विकलांगता (80 U) अधिनियम 75,000 तथा 80 प्रतिशत विकलांगता पर 125000 ....
19. 80 TTA बचत खाते पर अधिकतम ब्याज 10,000 धारा 194 (IA..................................)
19 (i) 80 TTB वरिष्ठ नागरिकों को सभी ब्याज (बचत खाता+फिक्स डिपोजिट) पर छूट 50,000 धारा 194 A ....
20. कुल कटौती (11 से 19 का योग) ....
21. **कर योग्य आय (10-20)**
22. **आयकर की दरें :**

पुरानी स्कीम		नवीन स्कमी	
2,50,000 रु. तक	शून्य	4,00,000 तक	शून्य
2,50,001 से 5,00,000 तक	5%	4,00,001 से 8,00,000 तक	5%
5,00,001 से 10,00,000 तक	20%	8,00,001 से 12,00,000 तक	10%
10,00,001 एवं अधिक	30%	12,00,001 से 16,00,000 तक	15%
60 से 80 वर्ष के वरिष्ठ नागरिकों को 3.00 लाख तथा 80 वर्ष से		16,00,001 से 20,00,000 तक	20%
ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों को 5.00 लाख तक आय पर कर में छूट		20,00,001 से 24,00,000 तक	25%
		24,00,000 से अधिक	30%

(1) कुल आयकर ....
(2) छूट धारा 87 (A) पुरानी योजना में (5.00 लाख तक की कर योग्य आय पर आयकर की छूट तथा नवीन योजना में धारा 87(B) 12.00 लाख तक की आय पर 60,000/- कर की छूट) ....
(3) शेष आयकर
(4) शिक्षा व चिकित्सा उपकर 4% (आयकर पर) ....
(5) कुल आयकर

23. स्रोत परआयकर कटौती का विवरण

सितम्बर 2025 तक	दिसम्बर 2025 तक	जनवरी 2026 तक	फरवरी 2026 तक	टी.डी.एस. (कुल)	योग
रु......................	रु......................	रु......................	रु......................	रु......................	रु......................

आयकरदेय/वापसी योग्य शेष-/ + रु......................

हस्ताक्षर

नोट : नई व्यवस्था में मानक कटौती 75000/- व नियोक्ता के अंशदान के अतिरिक्त अन्रू कोई छूट देय नहीं है।